

परिषद (राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान) नियम, 2022¹

[15.5.2025 को अद्यतित]

सा.का.नि. 408(अ). केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 30 उ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिषद (राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) 'परिषद' का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 3 के खंड (गक) में उसका है;

(ग) 'सचिव' से परिषद का सदस्य अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम, में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. रिक्तियों को भरने की रीति:- सचिव, अधिनियम की धारा 30 क की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित सदस्यों को, ऐसे युक्ति युक्त समय के भीतर जो उस तारीख से जिसको ऐसे आमंत्रण उसके द्वारा जारी किए जाते हैं, साधारणतया आठ सप्ताह से अधिक का न होगा आमंत्रित करेगा ;

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित प्रक्रिया का परिषद् में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए भी पालन किया जाएगा।

4. सदस्य की निरर्हता और उसका हटाया जाना:- (1) कोई व्यक्ति सदस्य होने के लिए तभी निरर्हित होगा जब वह, -

(क) अननुमोचित दिवाला है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ग) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हैं; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; या

¹ अधिसूचना सा.का.नि. 408 (अ) दिनांक 1.6.2022 (1.6.2022 से) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित

(च) परिषद् से अनुपस्थिति की अनुमति के बिना तीन लगातार बैठकों में उपस्थित होने में असफल रहता है :

(2) किसी सदस्य को उपनियम (1) के खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे मामले में सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

5. बैठक और उसमें कारबार करने की रीति:- (1) परिषद् प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(2) परिषद् की बैठकें परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उसकी स्वयं की स्वप्रेरणा पर या सचिव के अनुरोध पर या परिषद् के कम से कम चार सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यापेक्षा पर बुलाई जाएंगी।

(3) परिषद् की बैठक के लिए अपेक्षित गणपूर्ति परिषद् की वास्तविक संख्या का एक तिहाई होगा।

(4) परिषद् का अध्यक्ष साधारणतया परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा :

परन्तु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से चुना गया कोई अन्य सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(5) प्रत्येक बैठक की लिखित सूचना सचिव द्वारा बैठक की तारीख से तीन सप्ताह पहले प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी।

(6) सूचना में बैठक का स्थान, तारीख और समय का उल्लेख होगा।

(7) सूचना की अवधि अध्यक्ष की पूर्व सहमति से कम की जा सकेगी या अधित्यजित की जा सकेगी।

(8) कार्य सूची में किसी मद के समावेशन के लिए प्रस्तावों की सूचना सचिव के पास बैठक से दो सप्ताह पहले पहुंच जानी चाहिए।

(9) बैठक की कार्यसूची सचिव द्वारा सदस्यों को बैठक से दस दिन पूर्व परिचालित किया जाएगा।

(10) तथापि, परिषद् का अध्यक्ष, ऐसी किसी मद को सम्मिलित करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा जिसके लिए सम्यक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(11) इस संबंध में, प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के लिए परिषद् के अध्यक्ष का विनिर्णय अन्तिम होगा।

(12) परिषद् की बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सचिव द्वारा तैयार किए जाएंगे और वे परिषद् के सभी सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे।

(13) सुझाव दिए गए किसी भी संशोधन के साथ, कार्यवृत्त परिषद् की पुष्टि के लिए उसकी अगली बैठक में रखा जाएगा।

(14) कार्यवृत्त की अध्यक्ष द्वारा पुष्टि किए जाने और उसके द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् उन्हें ऐसी कार्यवृत्त पुस्तिका में लेखबद्ध किया जाएगा जो कार्यालय घंटों के दौरान सभी विषयों पर परिषद् के सदस्य द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

(15) परिषद् की बैठकों में विचार किए गए सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों, जिनमें परिषद् का अध्यक्ष भी है, बहुमत से किया जाएगा।

(16) यदि मतों को बराबर विभाजित किया जाता है तो परिषद के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(17) उपनियम (5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद की बैठक जिसमें ऐसा कोई विषय जिसे अध्यक्ष या सचिव द्वारा अत्यावश्यक समझा जाता है या ऐसी कोई अध्यक्ष जिसे परिषद के कम से कम चार सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, ली जानी है, अल्पतर सूचना पर बुलाई जा सकेगी।

6. यात्रा और अन्य भत्ते:- (1) अधिनियम की धारा 30क की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (झ) में निर्दिष्ट सदस्यों के सिवाय कोई सदस्य कोई फीस, यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(2) अधिनियम की धारा 30क की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (झ) में निर्दिष्ट सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का.ज्ञा.सं. 19047/2016 ई-IV तारीख 14 सितंबर, 2017 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार शासित किए जाएंगे।

(3) अधिनियम की धारा 30क की उपधारा (2) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट संसद सदस्य संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसार प्रतिकर भत्ता ही प्राप्त करने का हकदार होगा।

7. कृत्य और उनका प्रयोग करने की रीति- (1) परिषद ऐसे कृत्यों का प्रयोग करेगी जो उसे इस अधिनियम द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

(2) परिषद अपने कृत्यों का प्रयोग या तो सीधे तौर पर प्रयोग करेगी या अपने कृत्यों में से ऐसे कृत्य को प्रत्यायोजित कर सकेगी जो परिषद के अध्यक्ष के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(3) परिषद के अध्यक्ष द्वारा, ऐसे प्रत्यायोजन का प्रयोग करते हुए, की गई कार्रवाई परिषद को इसकी अगली बैठक में रिपोर्ट की जाएगी।

(4) जहां बैठक बुलाना समीचीन नहीं है वहां सचिव परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से ऐसी मद या मदों को जो आवश्यक समझी जाएं, सदस्यों के बीच परिचालित कर सकेगा और उनपर विनिश्चय करने के लिए परिषद के अध्यक्ष को समर्थ बनाने हेतु उनकी टीका टिप्पणियां अभिप्राप्त कर सकेगा।

(5) ऐसे विषय परिषद को उसकी अगली बैठक में रिपोर्ट किए जाएंगे।

(6) परिषद ऐसी स्थायी समिति या तदर्थ समितियों का गठन कर सकेगी जिनके ऐसे निश्चित निबंधन हो जो आवश्यक समझे जाएं।

(7) ऐसी समिति या समितियों की रिपोर्ट या रिपोर्टों को परिषद के समक्ष उसकी बैठक में विचार किए जाने और उन पर विनिश्चय किए जाने के लिए रखा जाएगा।

(8) निर्वचन- नियम 4 के उपनियम (11) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है उसपर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।